बीड़ी मजदूरों पर श्रम कानून लागू ही नहीं है।

गाजीपुर जिले में लगभग तीस हजार बीड़ी मजदूर है जिन में से लगभग पांच हजार गाजीपुर शहर में ही है। बीड़ी मजदूर समाज के बहुत ही गरीब तबके से आते हैं जिन का परिवार वर्षों से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है। वे इतने कमजोर हैं कि संगठित होने पर भी—बीड़ी कारखानों के मालिकों की जोर जबदस्ती के आगे उनकी कुछ नहीं चलती। श्रम विभाग के लोग मजदूरों की शिकायतों की बिल्कुल सुनवाई नहीं करते। गाजीपुर जिले में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिले की भांति बीड़ी मजदूर बुरी तरह कुचले जा रहे हैं।

मेरा श्रम मंत्री से आग्रह है कि वे गाजीपुर जिले में बीड़ी के कारखानेदारों द्वारा श्रम कानूनों की अवहेलना कराए जाने की उच्च स्तरीय जांच कराएं तथा यह सुनिश्चित करें कि श्रम विभाग बीड़ी मजदूरों के साथ न्याय करता है और उनकी हर जायज शिकायत के ऊपर कार्यवाही करता है।

यह भी देखने में आया है कि बीड़ी मजदूर बड़ी संख्या में टी० बी० रोग से पीड़ित हैं। गरीबी के कारण वे अपना इलाज नहीं करा पाते। इस सम्बन्ध में भी श्रम मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए ताकि बीड़ी मजदूरों और उनके परिवारों का इस रोग में अच्छे अस्पतालों में इलाज कराया जा सके उचित तो यह होगा कि प्रत्येक जिले में मजदूरों के लिए और विशेष कर बीड़ी मजदूरों के लिए एक टी० बी० क्लिनिक की व्यवस्था की जाए।

(v) NEED FOR TAKING AN EARLY DECISION FOR SETTING UP A BENCH OF ALLAHABAD HIGH COURT IN WESTERN UTTAR PRADESH.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के तहत लोक महत्व के प्रश्न, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच स्थापित करने के संबंध में है और गत वर्ष जिस की मांग को लेकर पूरे देश में जबर्दस्ती आन्दोलन चलाया गया था और जिसकी वजह से सरकार ने जसवन्त सिंह आयोग की स्थापना की थी, की ओर दिलाना चाहता हूं।

इस आयोग की स्थापना को करीब एक वर्ष से ज्यादा समय बीत गया। यह आयोग साक्ष्य लेने का कार्य कर रहा है। लेकिन अभी तक साक्ष्य का काम भी खत्म नहीं हुआ है। लग यह रहा है कि विज्ञान भवन में बैठकर इस काम को लम्बा खींचा जा रहा है। जनता के लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। जबकि सिर्फ इतना ही तय करना था कि बेंच का औचित्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बैठता है।

जनता बेताबी से इन्तजार कर रही है कि कब हमें सस्ता व नजदीक न्याय मिले। जनतंत्रीय प्रणाली में अगर जनता को सस्ता शीघ्र व दरवाजे पर न्याय नहीं मिलता, तो जनतंत्र खतरे में पड़ सकता है।

इस लिए आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार आयोग को निर्देश दे कि अगले एक माह में साक्ष्य का काम खत्म करें और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करने का कष्ट करें।

(vi) RE. SHORTAGE OF X-RAY FILMS

SHRI D. P. YADAV (Monghyr): X-Ray is an important means for diagnosis of the disease and it is one of